न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 26/2020 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 15.09.2020
GCMS NO. :-2020/00062

रतनलाल पिता चुन्नीलाल जाति गाड़री, आयु 38 साल, पेशा काश्त, निवासी बूल, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

नारायण पिता लालू जाति गाड़री, आयु 42 साल, निवासी बूल, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, भूपालसागर बमामले नामान्तरण संख्या 810 ग्राम बूल दिनांक 10.06.2020

उपस्थितिः– 1– श्री राजकुमार लड्ढ़ा, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री राजेन्द्र कुमार राजोरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

प्र. सं. 26/2020 (रा. अ.)
रतनलाल पिता चुन्नीलाल गाडरी निवासी बूल तहसील भूपालसागर बनाम नारायण पिता लालू गाडरी निवासी बूल, तहसील भूपालसागर

निर्णय

दिनांक 07.08.2024

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि गांव बूल स्थित कृषि आराजीयात खाता संख्या 128, 205 एवं 231 में वर्णित आराजीयात खातेदार भूरी पत्नि नाथू गाडरी निवासी बूल के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसके हिस्से को गोदनामा के आधार पर रेस्पोडेन्ट ने अपने नाम दर्ज करवाने का नामान्तरण आदेश पारित दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भूपालसागर ने गोदनामा के आधार पर कोई जांच पड़ताल नहीं की, अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि पेश करने का अवसर नहीं दिया जबकि रेस्पोडेन्ट को यह अच्छी तरह से मालूम है कि विवादित आराजीयात में अपीलांट का 1/2 हिस्सा जरिये विरासत होकर आराजीयात के आधे भाग पर कब्जा अपीलांट का है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे के आधार पर भी कोई जांच नहीं की तथा यह विवादित नामान्तरण संख्या 810 दिनांक 10.06.2020 पारित किया जो न्याय नियम एवं विधि–विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण सख्या 810 दिनांक 10.06.2020 निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सूचना पत्र जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र राजोरा ने अधिकार पत्र पेश किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं करके सीधे बहस किए जाने हेतु निवेदन किया। अतः बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 26/2020 (रा. अ.)
रतनलाल पिता चुन्नीलाल गाडरी निवासी बूल तहसील भूपालसागर बनाम नारायण पिता लालू गाडरी निवासी बूल, तहसील भूपालसागर

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गांव बूल की खाता संख्या 128, 205 एवं 231 में वर्णित आराजीयात खातेदार भूरी पत्नि नाथू गाडरी निवासी बूल के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसका रेस्पोडेन्ट ने गोदनामा के आधार पर अपने पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत करा लिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भूपालसागर ने भी गोदनामा के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत करने से पूर्व कोई जांच नहीं की, पत्रावली कायम नहीं की, अपीलांट को साक्ष्य–सबूत का कोई अवसर नहीं दिया गया जबकि रेस्पोडेन्ट को स्पष्ट ज्ञात है कि विवादित आराजीयात में अपीलांट का जरिये वसीयत 1/2 हिस्सा बनता है एवं उसी अनुसार अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट कायम है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे के आधार पर भी कोई जांच नहीं की तथा विवादित नामान्तरण आदेश पारित कर दिया। मृत्तक खातेदार भूरी के पति नाथू जी ने उनके जीवनकाल में दिनांक 05.04.2005 को अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के हक में एक अन्तिम वसीयतनामा समाज व गांव के मौतबिरान की उपस्थिति में निष्पादित किया जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को होते हुए भी रेस्पोडेन्ट ने उक्त तथ्य को छिपाते हुए खातेदार भूरी को बहला–फुसलाकर अकेले गोदनामा अपने पक्ष में लिखा बदनियती वश गोदनामा पंजीयन करवा दिया एवं गोदनामे के आधार पर नामान्तरण अकेले अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया। मृत्तक नाथू जी की आराजीयात पर मुझ अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट का कब्जा चला आ रहा है और आज भी आराजीयात पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट अलग–अलग काबिज है। विवादित आराजीयात नाथू जी की थी। नाथू जी की मृत्यु के बाद आराजीयात उनकी पत्नि भूरी बाई के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई। नाथू जी के देहावसान के बाद उनका सारा अन्तिम

क्रियाकर्म व सामाजिक कार्यक्रम अपीलांट व रेस्पोडेन्ट ने मिलकर किया एवं भूरी की अन्तिम समय पर सेवा–चाकरी भी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट ने मिलकर की किन्तु रेस्पोडेन्ट ने बदनियतीपूर्वक भूरी को बहला–फसला गोदनामा अपने पक्ष में करा लिया। वादग्रस्त आराजीयात में वसीयतनामे के आधार पर 1/2 हिस्सा मुझ अपीलांट का बनता है एवं मौके पर आज भी वसीयत अनुसार खातेदार नाथू जी के हिस्से पर अपीलांट का कब्जा है। रेस्पोडेन्ट के नाम पर गोदनामे के आधार पर नामान्तरण की जानकारी अपीलांट को नहीं थी चूंकि खातेदार भूरी के देहावसान के बाद कोविड–19 जैसी महामारी के कारण समस्त कार्य प्रभावित होने से अपीलांट पटवारी हल्का से सम्पर्क नहीं कर सका। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.08.2020 को पटवारी हल्का से मिल खातेदार भूरी के देहावसान होने व नामान्तरण वसीयत के आधार पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के पक्ष में खोले जाने हेतु निवेदन करने पर पटवारी हल्का से उक्त नामान्तरण की जानकारी हुई। जानकारी होते ही उसी दिन नामान्तरण की नकल प्राप्त कर अपील अन्दर मियाद पेश है। फिर भी अपील को मियाद में शुमार किए जाने हेतु दफा 5 का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 810 दिनांक 10.06.2020 निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें एवं आराजीयात के खातेदार नाथू जी की वसीयत के आधार पर पर नामान्तरण स्वीकृत फरमाने का तहसीलदार को आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में जो नामान्तरण संख्या 810 दिनांक 10.06.2020 पारित किया है वह रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर पारित किया है विधि–सम्मत् होकर नियमों के अनुरूप

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। खातेदार नाथू जी की पत्नि भूरी की उनके अन्तिम समय में समस्त सेवा–चाकरी रेस्पोडेन्ट द्वारा किये जाने से अपने अन्तिम समय में उनके द्वारा उक्त गोदनामा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निष्पादित कराया है अपीलांट जिस वसीयतनामे का आधार ले रहे है उक्त वसीयतनामे के आधार पर अपीलांट ने नामान्तरण दायर कराने का कभी प्रयास नहीं किया तथा वसीयतनामे के पश्चात् ये गोदनामा निष्पादित होकर रजिस्टर्ड हुआ है जिसके आधार पर यह नामान्तरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भूपालसागर द्वारा खोला गया जो नियमानुसार है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार खातेदार भूरी पत्नि नाथू गाडरी ने रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दिनांक 13.11.2009 को गोदनामा निष्पादित किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भूपालसागर द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर विवादित नामान्तरण संख्या 810 दिनांक 10.06.2020 रेस्पोडेन्ट के पक्ष में पारित किया जाना प्रतिवेदित है।

किन्तु विवादित आराजीयात भूरी के पति स्व. नाथू के खातेदारी की होकर नाथू पिता सोराम गाडरी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 05.04.2005 को अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया है तथा उक्त वसीयतनामे के गवाह के रूप में हस्ताक्षर करने वाले मौतबिरान श्री गणेशलाल पिता लक्षमण गाडरी एवं श्री भँवरलाल पिता मोहनलाल मीणा द्वारा पेश किए गए शपथ पत्र के आधार पर भी उक्त वसीयतनामा अपीलांट तथा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निष्पादित करने के कथन की पुष्टि होती है और उक्त मौतबिरान ने वर्तमान में विवादित आराजीयात पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट का आधे-आधे हिस्से पर कब्जा होने का शपथ पत्र में अंकन किया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत उक्त वसीयतनामे को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता एवं उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा विवादित नामान्तरण संख्या 810 दिनांक 10.06.2020 पारित कराने हेतु, अपीलांट तथा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में खातेदार नाथू पिता सोराम गाडरी द्वारा निष्पादित किये गये वसीयतनामे संबंधी तथ्य प्रस्तुत नहीं किए और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भूपालसागर द्वारा भी उक्त विवादित नामान्तरण पारित करने से पूर्व विधिवत् जांच नहीं की।

नामान्तरण को दर्ज करने एवं उसकी जांच व सक्षम अधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 121 के प्रावधान लागु होते है, उक्त नियम 121(4) में अंकित हिदायतों की पालना करते हुऐ नामान्तरण निर्णित करने हेतु सक्षम अधिकारी को नामान्तरण से संबंध में पूर्ण जांच उपरांत नामान्तरण तस्दीक करना होता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भूपालसागर द्वारा उक्त नामान्तरण स्वीकृत करने में

प्र. सं. 26/2020 (रा. अ.)
रतनलाल पिता चुन्नीलाल गाडरी निवासी बूल तहसील भूपालसागर बनाम नारायण पिता लालू गाडरी निवासी बूल, तहसील भूपालसागर

इस तथ्य की पूर्ण रूप से अनदेखी किया जाना स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भूपालसागर द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 810 दिनांक 10.06.2020 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भूपालसागर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजीयात के संबंध में उभय पक्ष को साक्ष्य–सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर विधि–सम्मत् कार्यवाही करें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official